भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली – 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

सार्वजनिक नोटिस

शैक्षणिक सत्र 2017–18 से आवेदन पत्रों का केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आमन्त्रित किया जाना

सभी सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2017–2018 से सभी आवेदन पत्र अर्थात् नए नर्सिंग कार्यक्रम, सीटों की संख्या में वृद्धि और नवीकरण / वैद्धता के सभी प्रकार के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे ।

सभी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन पत्र परिषद की आधिकारिक वैबसाइट **www.indiannursingcouncil.org** पर **1 सितम्बर 2016** से उपलब्ध हो जायेंगे ।

शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए कार्यक्रमों का कैलेण्डर

क्र. सं.	जमा करने का विवरण	अन्तिम तिथि
1.	नए नर्सिंग कार्यक्रम के लिए सरकारी आदेश (जी. ओ.) / अनिवार्यता प्रमाण पत्र (ई. सी.) सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन ।	30 नवम्बर, 2016
2.	सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी आदेश (जी. ओ.) के साथ ऑनलाइन आवेदन ।	30 नवम्बर, 2016
3.	नवीकरण / वैद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा ।	16 जनवरी, 2017

नोट :–

1. नये प्रस्ताव

- प्रत्येक नये कार्यक्रम / पाठ्यक्रम के लिए सरकारी आदेष (जी. ओ.) / अनिवार्यता प्रमाण पत्र (ई. सी.) अनिवार्य है, चाहे संस्थान के पहले से ही मान्यता प्राप्त नर्सिंग कार्यक्रम / पाठ्यक्रम चल रहे हों ।
- पी.बी. बी.एस.सी. (नर्सिंग) कार्यक्रम / पाठ्यक्रम के लिए आवेदन पत्र पर केवल तभी विचार किया जाएगा, यदि भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आवेदक संस्थान में बी.एस.सी. (नर्सिंग) कार्यक्रम / पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है ।
- जी.एन.एम. / बी.एस.सी. (नर्सिंग) कार्यक्रम / पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए 100 बिस्तरों वाला पेरेंट / अपना अस्पताल होना अनिवार्य है । यद्यपि पहाड़ी क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेष, जम्मू एण्ड कष्मीर, उत्तरांचल एवं पूर्वोत्तर राज्यों) और अनुसूचित अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में अस्पताल की शर्त से छूट प्रदान की जाती है ।
- केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से भरे हुए आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा ।

2. सीटों की वृद्धि

- सीटों की वृद्धि के लिए संस्थान केवल तभी आवेदन करने के पात्र हैं यदि भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम / पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2016–2017 / पिछले शैक्षणिक सत्रों के दौरान आवेदक संस्थान में आयोजित किया जा रहा था । सीटों की वृद्धि के लिए भी सरकारी आदेष (जी. ओ.) / अनिवार्यता प्रमाण पत्र (ई. सी.) अनिवार्य है ।

हस्ताक्षरित
सचिव

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-26819157, 26819159, 26819160